

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जनवरी 2014—पौष 18, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 तथा जिसकी कालावधि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 नवम्बर 2012 से आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई, को राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के “राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक बढ़ाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th January 2014

No. D-15-58-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and subject to the terms and conditions specified in this department's same numbered earlier notification dated 15th November 2011, validity period of which was extended by ONE year, by the department's same numbered notification dated 23rd November 2012, the State Government, hereby, further extends it for ONE year, from the date of publication of this notification in the “Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.